75

संख्याः-515/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 29 मई, 2025

विषयः बाढ़ आपदा के प्रति संवेदनशील प्रदेश के 44 जनपदों की कुल 119 तहसीलों के कुल 2,500 राजस्व ग्रामों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन/संचालन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं0-247/47- बाढ़ प्रशिक्षण/पी0सी0टी0/2025-26, दिनांक 05.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निम्नलिखित विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षमता संवर्धन हेतु बाढ़ आपदा के प्रति संवेदनशील प्रदेश के 44 जनपदों की कुल 119 तहसीलों के कुल 2,500 राजस्व ग्रामों के लगभग 5,600 मजरों व पुरवों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन/संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से रू0 10,12,11,500/- की धनराशि आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	गतिविधियां
A	2,000 ICRP/समूह सखी महिलाओं को ट्रेनर्स के रूप में तैयार करते हुए 04-04 ट्रेनर्स के समूह/टीम द्वारा कुल 2,500 संवेदनशील राजस्व ग्रामों में 04 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 2,500 राजस्व ग्रामों के लगभग 5,600 मजरों व पुरवों में 01 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन	1. उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में रजिस्टर्ड 2,000 Internal Community Resource Person (ICRP)/समूह सखी महिलाओं को 200-200 के बैच में राज्य स्तर पर 07 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (ToT) प्रदान कर ट्रेनर्स के रूप में तैयार किया जाना । 2. समस्त प्रशिक्षित ट्रेनर्स (04 ट्रेनर्स प्रति ग्राम) द्वारा उक्त 2,500 संवेदनशील राजस्व ग्रामों के:- - ग्राम प्रधान, लेखपाल, कोटेदार, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, नाविक, गोताखोर, आशा, ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता, शिक्षा - मित्र, स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्यकर्मी एवं ग्रामवासियों को 04 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना; - 2,500 राजस्व ग्रामों के लगभग 5,600 मजरों व पुरवों में 01 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना; - ग्राम स्तर पर उपलब्ध समस्त संसाधनों का मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मैपिंग किया जाना; - खतरों, जोखिम, भेद्यता एवं क्षमता निर्माण का विश्लेषण (HRVCA) किया जाना; - समस्त 2,500 संवेदनशील राजस्व ग्रामों की ग्राम आपदा प्रबधंन योजना (VDMP) तैयार किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्रों पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना संकलित किया जाना ।
B	जनपद एवं तहसील	प्रदेश के 44 जनपदों में एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

	स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एवं इन जनपदों की कुल 119 तहसीलों में एक दिवसीय तहसील स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाना ।

उपरोक्तानुसार आपदा प्रबंधन गतिविधियों/कार्यक्रमों पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण:-

(A) उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में रजिस्टर्ड 2,000 ICRP/समूह सखी महिलाओं को ट्रेनर्स के रूप में तैयार करते हुए 04-04 ट्रेनर्स के समूह/टीम द्वारा कुल 2,500 संवेदनशील राजस्व ग्रामों में 04 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एवं इन 2,500 राजस्व ग्रामों के 5,600 मजरों व पुरवों में 01 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन :

1. 2,000 ICRP/समूह सखी महिलाओं को 200-200 के बैच में राज्य स्तर पर 07 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (ToT)

क्र.सं.	विवरण	प्रतिभागियों की संख्या	दर	अनुमानित व्यय (रुपये में)
क	07 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (ToT)	कुल 2000 प्रतिभागी	रु.1500/- प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन (प्रशिक्षण स्थल व्यय, आवास सुविधा, खान-पान एवं अतिथि वक्ताओं का मानदेय तथा यात्रा-व्यय इत्यादि)	07 दिन X 2000 प्रतिभागी X रु. 1500/- प्रतिदिन = 2,10,00,000/-
ख	प्रशिक्षण किट (जूट बैग, डायरी, स्टेशनरी, प्रशिक्षण पुस्तिका प्रमाण-पत्र, आई.ई.सी. सामग्री, आई-कार्ड इत्यादि)	कुल 2000 प्रतिभागी	रु. 1000/- प्रति प्रतिभागी	2000 प्रतिभागी X रु. 1000/- प्रति किट =20,00,000/-
ग	समस्त 2000 ICRP / समूह सखी महिलाओं को प्रशिक्षण स्थल तक लाने एवं वापसी हेतु	कुल 2000 प्रतिभागी	रु. 1000/- यात्रा व्यय प्रति प्रतिभागी	2000 प्रतिभागी X रु. 1000/- = 20,00,000/-
घ	प्रशिक्षण अवधि के दौरान समस्त 2000 ICRP / समूह सखी महिलाओं को मानदेय	कुल 2000 प्रतिभागी	रु. 300/- प्रतिदिन	2000 प्रतिभागी X रु. 300/- = 6,00,000/-
च	2000 ICRP / समूह सखी महिलाओं का बीमा प्रीमियम	2000	रु.312/- प्रति महिला	2000 X रु.312/- = 6,24,000/-
	योग (रुपये दो करोड़ बासठ लाख चौबीस हजार)			2,62,24,000/-

2. कुल 2,500 संवेदनशील राजस्व ग्रामों में 04 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण	विवरण	दर	अनुमानित व्यय
क	04 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,500 राजस्व ग्राम	रु. 5,000/- प्रति ग्राम (प्रशिक्षण स्थल व्यय, स्टेशनरी, प्रचार-प्रसार सामग्री एवं प्रतिभागियों हेतु सूक्ष्म जलपान)	2,500 ग्राम X रु. 5,000/- =1,25,00,000/-
ख	ट्रेनर्स (ICRP/समूह सखी) हेतु भोजन एवं आवास सुविधा	04 ट्रेनर्स X 04 दिन X 2,500 राजस्व ग्राम	रु. 300/- प्रति ट्रेनर्स (भोजन- रु. 100 + आवास सुविधा- रु. 200)	04 ट्रेनर्स X 04 दिन X 2,500 ग्राम X रु. 300/- = 1,20,00,000/-

ग	ट्रेनर्स (ICRP/समूह सखी) हेतु स्थानीय आवागमन सुविधा	04 ट्रेनर्स X 2,500 राजस्व ग्राम	रु. 150/- प्रति ट्रेनर्स	04 ट्रेनर्स X 2,500 ग्राम X रु. 150/- = 15,00,000/-
घ	ट्रेनर्स (ICRP/समूह सखी) का मानदेय	04 ट्रेनर्स X 04 दिन X 2,500 राजस्व ग्राम	रु. 300/- प्रति ट्रेनर्स	04 ट्रेनर्स X 04 दिन X 2,500 ग्राम X रु. 300/- = 1,20,00,000/-
योग (रुपये तीन करोड़ अस्सी लाख)				3,80,00,000/-

3. कुल 2,500 संवेदनशील राजस्व ग्रामों के 5,600 मजरों व पुरवों में 01 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन :

क्र.सं.	प्रशिक्षण	विवरण	दर	अनुमानित व्यय
क	01 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	5,600 मजरा/पुरवा	रु. 1,000/- प्रति मजरा/पुरवा (प्रशिक्षण स्थल व्यय, स्टेशनरी, प्रचार-प्रसार सामग्री एवं प्रतिभागियों हेतु सूक्ष्म जलपान)	5,600 ग्राम X रु. 1,000/- = 56,00,000/-
ख	ट्रेनर्स (ICRP/समूह सखी) हेतु भोजन एवं आवास सुविधा	04 ट्रेनर्स X 01 दिन X 5,600 मजरा/पुरवा	रु. 300/- प्रति ट्रेनर्स (भोजन - रु. 100 + आवास सुविधा- रु. 200)	04 ट्रेनर्स X 01 दिन X 5,600 मजरा/पुरवा X रु. 300/- = 67,20,000/-
ग	ट्रेनर्स (ICRP/समूह सखी) हेतु स्थानीय आवागमन सुविधा	04 ट्रेनर्स X 5,600 मजरा/पुरवा	रु. 100/- प्रति ट्रेनर्स	04 ट्रेनर्स X 5,600 ग्राम X रु. 100/- = 22,40,000/-
घ	ट्रेनर्स (ICRP/समूह सखी) का मानदेय	04 ट्रेनर्स X 01 दिन X 5,600 मजरा/पुरवा	रु. 300/- प्रति ट्रेनर्स	04 ट्रेनर्स X 01 दिन X 5,600 मजरा/पुरवा X रु. 300/- = 67,20,000/-
योग (रुपये दो करोड़ बारह लाख अस्सी हजार)				2,12,80,000/-

(B) प्रदेश के 44 जनपदों एवं 119 तहसीलों में आयोजित जनपद/तहसील स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	प्रशिक्षण	जनपद/ तहसील	प्रतिभागी	दर	अनुमानित व्यय
क	01 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	44 जनपद	50 प्रतिभागी प्रति जनपद	रु.1,000/- प्रति प्रतिभागी	44 जनपद X 50 प्रतिभागी X रु.1,000/- = 22,00,000/-
ख	01 दिवसीय तहसील स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	119 तहसील	100 प्रतिभागी प्रति तहसील	रु.1,000/- प्रति प्रतिभागी	119 तहसील X 100 प्रतिभागी X रु.1,000/- = 1,19,00,000/-
ग	06 ट्रेनर्स/कंसल्टेंट का मानदेय	-	06 ट्रेनर्स/कंसल्टेंट का मानदेय X 01 माह	रु.75,000/- प्रति माह	06 ट्रेनर्स X 01 माह X रु.75,000/- = 4,50,000/-

घ	06 प्रशिक्षण सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर		06 प्रशिक्षण सहायक का मानदेय X 01 माह	रू0 25,000/- प्रति माह	06 प्रशिक्षण सहायक X 01 माह X रु.25,000/- = 1,50,000/-
च	ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षण सहायक हेतु स्थानीय आवागमन	-	06 वाहन X 01 माह	रु.1,00,000/- प्रति वाहन प्रति माह	06 वाहन X 01 माह X रु.1,00,000/- = 6,00,000/-
छ	ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षण सहायक हेतु आवास सुविधा एवं भोजन	163 दिन (44 दिन जनपद स्तर + 119 दिन तहसील स्तर)	-	रु.2,500/- प्रतिदिन (ट्रेनर्स - 1500 + प्रशिक्षण सहायक - 1000)	163 दिन X रु.2,500/- =4,07,500/-
योग (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख सात हजार पांच सौ)					1,57,07,500/-

उपरोक्तानुसार गतिविधियों/कार्यक्रमों पर होने वाले अनुमानित व्यय का कुल योग:-

क्र.सं.	विवरण	कुल अनुमानित व्यय (धनराशि रुपये में)
A	2000 ICRP/समूह सखी महिलाओं को ट्रेनर्स के रूप में तैयार करते हुए कुल 2,500 संवेदनशील ग्रामों में 04 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 2,500 राजस्व ग्रामों के लगभग 5,600 मजरों व पुरवों में 01 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजनः 1. ट्रेनर्स प्रशिक्षण हेतु कुल अनुमानित व्यय - रु. 2,62,24,000/- 2. कुल 2,500 संवेदनशील ग्रामों में 04 दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल अनुमानित व्यय - रु. 3,80,00,000/- 3. कुल 2.500 संवेदनशील राजस्व ग्रामों के 5,600 मजरों व पुरवों में 01दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल अनुमानित व्यय रू0 2,12,80,000/-	8,55,04,000/-
B	प्रदेश के 44 जनपदों एवं 119 तहसीलों में आयोजित जनपद/तहसील स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल अनुमानित व्यय	1,57,07,500/-
	योग (रुपये दस करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार पांच सौ)	10,12,11,500/-

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 06.05.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षमता संवर्धन हेतु उपरोक्त विवरणानुसार प्रदेश के 44 जनपदों की कुल 119 तहसीलों के कुल 2,500 राजस्व ग्रामों के लगभग 5,600 मजरों व पुरवों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन/संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि रू0 10,12,11,500/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्ते/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 10,12,11,500/- (रुपये दस करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार पांच सौ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 29-05-2025 14:18:20

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-515(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-30/05/2025

प्रेषण संख्या:- 515
आवंटन आदेश संख्या:- 001-515
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	101211500 217817249	101211500 217817249
	योग	वर्तमान प्रगामी	101211500 217817249	101211500 217817249

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख सत्रह हजार दो सौ उनचास

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी